"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी 2006—पौष 16, शक 1927

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं हेमवंती नंदन नागपुरे आ. साहेब राव नागपुरे, उम्र 22 वर्ष, निवासी मकान नंबर 627 श्री साईंकृपा भवन, टूकबाड़ी, 5 मंदिर के पास रामनगर सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं, मैं अपना नाम परिवर्तन कर हेमंत नागपुरे आ. साहेब राव नागपुरे रख लिया हूं तथा इस आशय का शपथ पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: भविष्य में मुझे हेमंत नागपुरे आ. साहेब राव नागपुरे के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
हेमवंती नंदन नागपुरे आ. श्री साहेब राव नागपुरे मकान नं. 627 श्री साईकृपा भवन टूकबाड़ी, 5 मंदिर के पास रामनगर पो. व थाना-सुपेला भिलाई तह. व जिला -दुर्ग (छ.ग.)	हेमंत नागपुरे आ. श्री साहेब राव नागपुरे मकान नं. 627 श्री साईकृपा भवन टूकबाड़ी, 5 मंदिर के पास रामनगर पो. व थाना-सुपेला भिलाई तह. व जिला -दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं हरीश बैतुले आ. श्री एम. एन. बैतुले, निवासी क्वा. नं. 11-डी, सड़क 71, सेक्टर 6 भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई के रेल मिल (फिनिशिंग) विभाग में आपरेटर के पद पर कार्यरत हूं. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरी पत्नी का नाम श्रीमती तीज बैतुले दर्ज है. मैं अपनी पत्नी का नाम परिवर्तन कर श्रीमती तीजन बैतुले रख लिया हूं. तथा इस आशय का शपथ पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: भविष्य में मेरी पत्नी को श्रीमती तीजन बैतुले के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती तीज बैतुले पति- हरीश बैतुले क्वा नं. 11/D सड़क 71, सेक्टर-6 भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	श्रीमती तीजन बैतुले पति- हरीश बैतुले क्वा नं. 11/D सड़क 71, सेक्टर-6 भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विविध

निविदा सूचनाएं

बिलासपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2005

संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक 35/त.शा./का. अ./लो. स्वा./05-06.—मुहरबंद एकमुश्त निविदाएं प्रपत्र "अ" में निम्नलिखित उल्लेखित नल जल योजना के तहत पाइप लाइन बिछाने के कार्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा प्रस्तुत करने की समय सारिणी के अनुसार केवल छ. ग. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है.

निविदा उसी दिन निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे.

निविदा की समय सारिणी (केवल बिलासपुर खंड में)

(1)	कोरे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	07-01-2006 (कार्यालयीन अवधि)
(2)	कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से जारी करने की तिथि एवं समय	:	10-01-2006 (कार्यालयीन अवधि)
(3)	निविदा प्रस्तुत करने की तिथि	:	11-01-2006 (अपरान्ह 3 बजे तक)
(4)	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	11-01-2006 (अपरान्ह 3.30 बजे तक)

कार्य का विवरण

बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड में स्थित ग्राम सलखा/बेलतरा नल जल स्थल योजना के तहत जल वितरण प्रणाली के लिये विभिन्न आकार के सी. आई. टाईटन. पाइप (क्लास एल. ए./यू. पी. व्ही. सी. पाइप क्लास 10 KG/CM^2 pressure) बिछाने एवं जोड़ने का कार्य/कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का संलग्न शेड्यूल के अनुसार स्थल पर प्रदाय, बिछाने एवं जोड़ने का कार्य एवं समस्त सिविल कार्य तथा वाल्व चैम्बर, स्टेण्डपोस्ट इत्यादि का निर्माण इन्टर कनेक्शन टेस्टिंग तथा पाइप लाइन चालू करने का एकमुश्त कार्य. (सभी सामग्री सहित). (संलग्न G/Schedule के अनुसार) एवं टंकी निर्माण स्थल में बाऊंड्री वाल का निर्माण कार्य एवं प्रस्तावित पंप गृहों का निर्माण.

(संलग्न G/Schedule के अनुसार)

समूह क्रमांक	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	धरोहर की राशि (रुपये)	निविदा प्रपत्र की कीमत (रुपये)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाऋतु छोड़कर)	ठेकेदारों की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ग्राम सलखा विकासखण्ड-बिल्हा एवं ग्राम बेलतरा विकासखण्ड-बिल्हा	31.00	23250/-	1500/-	6 माह	ए-2/एस-2 एवं ऊपर

निविदा की अन्य शर्तें

1. निविदा की अन्य शर्तें मुख्य निविदा एवं संक्षिप्त निविदा सूचना के अनुसार होगी. निविदा की अन्य जानकारी एवं विस्तृत विवरण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है.

2. निविदा प्रपत्र एवं अन्य संबंधित जानकारी कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र का मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते हैं. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु रुपये 50/- (पचास रु. मात्र) डाक शुल्क देना होगा. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र खो जाने अथवा समय पर प्राप्त न होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा.

3. यह निविदा विज्ञप्ति संबंधित निविदा का अंग है. विस्तृत निविदा सूचना एवं संबंधित प्रपत्रों की सारी शर्तें एवं नियमों के साथ इसके शर्तें भी लागू होंगे.

4. निविदा दरों की वैधता खुलने की दिनांक से 120 दिनों तक मान्य होगी.

5. कार्य की प्रवृत्ति के अनुसार निम्नलिखित दर सूची इस निविदा में लागू होगी.

सिविल कार्य

(अ) प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (भवन तथा सड़क), रायपुर की नई दर सूची दिनांक 1-1-2000 से इस विभाग मे लागू की गई है.

(ब) **पाइप लाइन बिछाने का कार्य :-** प्रमुख अभियंता, लोक स्वा. यां. विभाग, भोपाल (म. प्र.) की नयी Unified Schedule of Rates for the work of water supply & Sewerage pipe lines inforce for 1-9-2002 जो कि छ. ग. शासन उप-सचिव, लोक स्वा. यां. विभाग, रायपुर के पत्र क्र. 1597/सचिव/लो.स्वा.यां./रायपुर, दिनांक 1-10-2004 के अनुसार लागू की गई है.

उपरोक्त दोनों दर सूची निविदा जारी होने की दिनांक से समस्त संशोधन सहित लागू होगी.

8. कार्य में लगने वाले सी. आई. टाईटन पाइप (क्लास एल. ए./यू. पी. व्ही. सी. पाइप क्लास 10 KG/CM² Pressure), वाल्व, स्पेशल्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री ठेकेदार को स्वयं लगाना होगा. प्रदाय की जाने वाली सामग्री D.G.S. & D./S.G.C./RITES द्वारा संबंधित I.S. Code के अनुसार निरिक्षित एवं सत्यापित होनी चाहिये.

9. कार्य में लगने वाला स्टील ठेकेदार को लगाना होगा एवं स्टील का Testing प्रमाण-पत्र समय-समय पर प्रस्तुत करना होगा.

10. आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा कम/अधिक की जा सकती है.

11. सक्षम अधिकारी को निविदा स्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा.

12. निविदा प्रपत्र प्रदाय हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावें.

(Attested copy)

(1) छ. ग. शासन का वाणिज्यकर पंजीयन प्रमाण-पत्र.

(2) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र.

(3) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निष्पादन प्रमाण-पत्र के साथ संतोषजनक रूप से पूर्ण किये गये समान प्रकार के कार्यों की सूची, कार्य अनुबंधवार छ. ग. शासन के बिक्री पर पंजीकृत प्रमाण-पत्र तथा कार्य का नाम मंडल/विभाग का नाम, कार्य की मात्रा, प्रगति में कार्य की स्थिति तथा टिप्पणियों के साथ कार्यों की सूची संलग्न करना होगा. सफलतापूर्वक कार्य के संपादन हेतु उपलब्ध उपकरण/संयंत्रों की पूरी सूची.

13. छ. ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर के आदेश दिनांक 1-10-04 के अनुसार कार्य के निरीक्षण में Third party Inspection का प्रावधान रखा गया है. इस तरह का निरीक्षण, बिलासपुर संभाग के अन्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सक्षम अधिकारी (बिलासपुर खंड को छोड़कर) समय-समय पर किया जावेगा. निरीक्षण के पश्चात् ही Payment schedule के अनुसार पूर्ण किये गये कार्यों का भुगतान कार्य की गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्ति के पश्चात् किया जावेगा.

14. समस्त विवादों का निपटारा "सक्षम न्यायालय" में बिलासपुर जिले के अंतर्गत किया जावेगा.

15. निविदा सूचना छ. ग. शासन के वेबसाइट http/www/chhattisgarh/NIC IN/Tenders में भी उपलब्ध रहेगी. ठेकेदार/फर्म उक्त विज्ञप्ति E-MAIL के माध्यम से Pramarao @ c.g. nic. प्राप्त कर सकते हैं.

बिलासपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2005

संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना (द्वितीय)

निविदा क्रमांक 37/त.शा./का. अ./लो. स्वा./05-06.—मुहरबंद समूहवार निविदाएं प्रपत्र "अ" में निम्नलिखित उल्लेखित स्थल योजना के तहत पाइप लाइन बिछाने के कार्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा प्रस्तुत करने की समय सारिणी के अनुसार केवल छ. ग. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है.

निविदा उसी दिन निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे.

निविदा की समय सारिणी (केवल बिलासपुर खंड में)

(1)	कोरे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	28-12-2005 (कार्यालयीन अवधि)
(2)	कोरे निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से जारी करने की तिथि एवं समय	:	29-12-2005 (कार्यालयीन अवधि)
(3)	निविदा प्रस्तुत करने की तिथि	:	30-12-2005 (अपरान्ह 3 बजे तक)
(4)	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	30-12-2005 (अपरान्ह 3.30 बजे तक)

कार्य का विवरण

विलासपुर जिले के विकासखंड पथरिया एवं लोरमी में स्थित स्थल नल जल योजना के तहत जल वितरण प्रणाली के लिये विभिन्न आकार के जी. आई. पाइप (मीडियम श्रेणी) /पी. व्ही. सी. पाइप क्लास 10 बिछाने एवं जोड़ने का कार्य/कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का संलग्न शेड्यूल के अनुसार स्थल पर प्रदाय, बिछाने एवं जोड़ने का कार्य एवं समस्त सिविल कार्य तथा वाल्व चैम्बर, स्टेण्डपोस्ट इत्यादि का निर्माण इन्टर कनेक्शन टेस्टिंग तथा पाइप लाइन चालू करने का एकमुश्त कार्य. (सभी सामग्री सहित). (संलग्न G/Schedule के अनुसार)

समूह क्रमांक	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)	धरोहर की राशि (रुपये)	निविदा प्रपत्र की कीमत (रुपये)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाऋतु छोड़कर)	ठेकेदारों की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ग्राम धमनी विकासखंड पथरिया (पी. व्ही. सी. पाइप Class-10)	3.75	3750/-	750/-	2 माह	बी श्रेणी एवं ऊपर
2.	ग्राम साल्हेघोरी विकासखंड लोरमी (जी. आई. पाइप Class Medium)	1.00	2000/-	300/-	2 माह	सी श्रेणी एवं ऊपर
3.	ग्राम टिकैतपेण्ड्री विकासखंड पथरिया (जी. आई. पाइप Class Medium)	5.50	5000/-	750/-	2 माह	A-1 श्रेणी एवं ऊपर

निविदा की अन्य शर्तें

1. निविदा की अन्य शर्तें मुख्य निविदा एवं संक्षिप्त निविदा सूचना के अनुसार होगी. निविदा की अन्य जानकारी एवं विस्तृत विवरण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है.

2. निविदा प्रपत्र एवं अन्य संबंधित जानकारी कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र का मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते हैं. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु रुपये 50/- (पचास रु. मात्र) डाक शुल्क देना होगा. डाक द्वारा निविदा प्रपत्र खो जाने अथवा समय पर प्राप्त न होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं होगा.

3. यह निविदा विज्ञप्ति संबंधित निविदा का अंग है. विस्तृत निविदा सूचना एवं संबंधित प्रपत्रों की सारी शर्तें एवं नियमों के साथ इसके शर्तें भी लागू होंगे.

4. निविदा दरों की वैधता खुलने की दिनांक से 120 दिनों तक मान्य होगी.

5. कार्य की प्रवृत्ति के अनुसार निम्नलिखित दर सूची इस निविदा में लागू होगी.

सिविल कार्य

(अ) प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (भवन तथा सड़क), रायपुर की नई दर सूची दिनांक 1-1-2000 से इस विभाग में लागू की गई है.

(ब) **पाइप लाइन बिछाने का कार्य :-** प्रमुख अभियंता, लोक स्वा. यां. विभाग, भोपाल (म. प्र.) की नयी Unified Schedule of Rates for the work of water supply & Sewerage pipe lines inforce from 1-9-2002 जो कि छ. ग. शासन उप-सचिव, लोक स्वा. यां. विभाग, रायपुर के पत्र क्र. 1597/सचिव/लो.स्वा.यां./रायपुर, दिनांक 1-10-2004 के अनुसार लागू की गई है.

उपरोक्त दोनों दर सूची निविदा जारी होने की दिनांक से समस्त संशोधन सहित लागू होगी.

6. कार्य में लगने वाले G.I. Pipes (Class Medium) एवं पी. व्ही. सी. पाइप (Class 10) के लिए लगने वाले वाल्व, स्पेशल्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री ठेकेदार को स्वयं लगाना होगा. प्रदाय की जाने वाली सामग्री D.G.S. & D./S.G.C./RITES द्वारा संबंधित I.S. Code के अनुसार निरक्षित एवं सत्यापित होनी चाहिये.

7. कार्य में लगने वाला स्टील ठेकेदार को लगाना होगा एवं स्टील का Testing प्रमाण-पत्र समय-समय पर प्रस्तुत करना होगा.

8. आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा कम अधिक की जा सकती है.

9. सक्षम अधिकारी को निविदा स्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा.

10. निविदा प्रपत्र प्रदाय हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावें.

(Attested copy)

(1) छ. ग. शासन का वाणिज्यकर पंजीयन प्रमाण-पत्र.

(2) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र.

(3) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के निष्पादन प्रमाण-पत्र के साथ संतोषजनक रूप से पूर्ण किये गये समान प्रकार के कार्यों की सूची, कार्य अनुबंधवार छ. ग. शासन के बिक्री पर पंजीकृत प्रमाण-पत्र तथा कार्य का नाम, मंडल/ विभाग का नाम, कार्य की मात्रा, प्रगति में कार्य की स्थिति तथा टिप्पणियों के साथ कार्यों की सूची संलग्न करना होगा. सफलता पूर्वक कार्य के संपादन हेतु उपलब्ध उपकरण/संयंत्रों की पूरी सूची.

11. छ. ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर के आदेश दिनांक 1-10-04 के अनुसार कार्य के निरीक्षण में Third party Inspection का प्रावधान रखा गया है. इस तरह का निरीक्षण, बिलासपुर संभाग के अन्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सक्षम अधिकारी (बिलासपुर खंड को छोड़कर) समय-समय पर किया जावेगा. निरीक्षण के पश्चात् ही Payment schedule के अनुसार पूर्ण किये गये कार्यों का भुगतान कार्य की गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्ति के पश्चात् किया जावेगा.

12. समस्त विवादों का निपटारा "सक्षम न्यायालय" में बिलासपुर जिले के अंतर्गत किया जावेगा.

13. निविदा सूचना छ. ग. शासन के वेबसाइट http/www/chhattisgarh/NIC IN/Tenders में भी उपलब्ध रहेगी. ठेकेदार/फर्म उक्त विज्ञप्ति E-MAIL के माध्यम से Pramarao @ e.g. nic. प्राप्त कर सकते हैं.

आर. के. गेंदले,
कार्यपालन अभियंता,
लोक. स्वा. यां. खंड, बिलासपुर (छ.ग.)

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास दुर्ग

प्रारूप-चार
[नियम 5(1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 की धारा 5 की उपधारा (2) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिये]

दुर्ग, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

क्रमांक/1680/प्र.1/अविअ/05.—चूंकि संस्थापक मैनेजिंग ट्रस्टी भिलाई केंसर एन्ड कम्पली मेन्ट्री मेडिसिन ट्रस्ट स्मृति नगर भिलाई ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951, 1951 का धारा 30 की धारा 5 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह निर्दिष्ट की गयी न्यास पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्याया. में दिनांक 09-01-2006 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं तारन प्रकाश सिन्हा अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग एवं पंजीयक लोक न्यास दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 20 जनवरी 2006 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप धारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत [illegible] विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम एवं संपत्ति का वर्णन)

(1)	लोक न्यास का नाम	:	भिलाई केंसर एन्ड कम्पली मेन्ट्री मेडिसिन ट्रस्ट स्मृति नगर भिलाई
(2)	चल संपत्ति	:	रु. 21000/-

तारण प्रकाश सिन्हा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास बालोद जिला दुर्ग

प्ररूप क्रमांक 5
देखें नियम 5 (1)

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1952 के नियम 5 (1) द्वारा

समक्ष श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी बालोद एवं पंजीयक लोक न्यास, तहसील बालोद जिला-दुर्ग

बालोद, दिनांक 24 दिसम्बर 2005

क्रमांक/1259/प्र.1/05.—अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट न्यास विवरण गंगा मइया मंदिर ट्रस्ट बालोद जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा 4 के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिये मैं एल. एन. नाग लोक न्यासों का पंजीयक तह. बालोद जिला दुर्ग मेरे न्यायालय में 2005 माह के 24-1-2006 दिवस पर, कथित अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में यथा अपेक्षित जांच करने को प्रस्तावित करता हूं.

एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या संपत्ति को कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी, या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(1)	लोक न्यास का नाम	:	गंगा मइया मंदिर ट्रस्ट, झलमला (बालोद) जिला-दुर्ग

एल. एन. नाग,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा), जगदलपुर

फार्म-चौथा

[नियम 5 (1)]

जगदलपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2005

रा.प्र.क्र. 1/ब-113/05-06.—चूंकि स्वामी चन्द्रशेखर नंद सचिव, रामकृष्ण शारदा सेवा आश्रम, धरमपुरा तहसील जगदलपुर द्वारा "रामकृष्ण शारदा सेवा आश्रम, धरमपुरा" को एवं अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन के लिए छ. ग. सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा 4 के अधीन आवेदन किया है. इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पत्र पर इस न्यायालय में मेरे द्वारा तारीख 2-1-2006 को विचार किया जावेगा. उक्त न्यास या संपत्ति संबंधी मामलों में किसी प्रकार का हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो कोई आपत्ति उठाना चाहे या सुझाव देना चाहे वह इस सूचना के प्रकाशन की तारीख के एक माह के भीतर अपने लिखित बयान की दो प्रतियां बनाकर देवें और उक्त तारीख को मेरे सामने या तो स्वयं या किसी वकील या अभिकर्ता के जरिए उपस्थित हों. उक्त कालावधि बीत जाने के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम व पता एवं संपत्ति का विवरण).

(1) लोक न्यास का नाम और पता : रामकृष्ण शारदा सेवा आश्रम, धरमपुरा तह. जगदलपुर, जिला-बस्तर

(2) चल संपत्ति : (1) डुप्लीकेट मशीन, केल्कुलेटर, वेक्यूम क्लीनर, गेम्स एवं स्पोर्ट मटेरियल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फर्नीचर एवं फिक्सर, टेलिविजन, कम्प्यूटर, फेन एंड लाईट, मिनीनस-5639, बस टाटा-0172, बस टाटा-7119, फर्नीचर एंड फिक्सर, अन्टेंसील, टूल्स, प्लांट, स्कूटर 5123, स्कूटर-2461, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, टेलिविजन, बजाज स्कूटर, मारूति ओमिनी-0006, महिन्द्रा जीप मैक्स, वाटर प्रीफियर मशीन, कम्प्यूटर, मेडिकल इक्वीपमेंट, फर्नीचर एवं फिक्सर, साईकल, लूना-टीआरएफ, केल्कुलेटर, टाईपराईटर (हिन्दी/इंग्लिश), वेक्यूम क्लीनर, इंटरकाम सिस्टम, कम्प्यूटर सिस्टम मय केबिन, फैक्स मशीन, वाटर कूलिंग मशीन, फोटो कापी मशीन, फैन, इमरजेंसी लाईट, कूलर, सोलरलाईट सिस्टम, एक्सरे मशीन, एक्सरे एसेसरिज, रेफ्रिजिरेटर, आपरेशन टेबल, वेट मशीन, चाईल्ड हिटवार्मर, इन्फेंट केयर ट्राली, एयर कंडिशनर, माइक्रोस्कोप, आक्सीजन सिलेंडर, वाशिंग मशीन, नियोनेटल रेसयूससिएसन यूनिट, डिफेक्टर मल्टीपेन, यू. वी. स्ट्रीलीजर, सक्सन एपरेट्स, ड्रम स्ट्रीलीजर, आई इन्स्ट्रूमेंट, सर्जिकल इक्वीपमेंट, फिनपिफ्ट कालर वर. मशीन, ऐनेथेसिया मशीन, क्वोक्यूटरी यूनिट, नेबूलीजर, ऑपथल्मास्कोप (मिनी 2000), फर्नीचर एवं फिक्सर कुल संख्या 64 क्रय मूल्य 4262184.29 रु.

(2) बैंक एकाउंट्स-

	एका. नं.	रुपये
1. बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, धरमपुरा	3286	2,13,431.90
2. -----,,------ -,,-	3283	1,73,977.00
3. पंजाब नेशनल बैंक, जगदलपुर	12104	993.00
4. वी. ओ. बी. जगदलपुर	10132	2107.00
5. एस. बी. आई. मुख्य-शाखा, जगदलपुर.	01100050358	7581.05

6. एस. बी. आई. कले. शाखा, जगदलपुर.	01100050330	2142.90
7. पंजाब नेशनल बैंक, जगदलपुर	10725	7154.00

(3) अचल संपत्ति : ग्राम धरमपुरा, प. ह. नं. - 61, तहसील-जगदलपुर में स्थित भूमि-

खसरा क्रमांक	रकबा	संरचना का ब्यौरा
122/3	0.90 एकड़	प्रायमरी स्कूल भवन/मिडिल स्कूल भवन/टॉयलेट-बाथरूम/व्हीकल गैरेज/स्लाडिंग प्लेटफार्म/मेन बिल्डिंग/किचन शेड/वाल/गेस्ट हाऊस/डिपट्यूबवेल.
77/2	0.25 एकड़	हास्पीटल बिल्डिंग / इन्डोर बिल्डिंग मेडिकल स्टोर बिल्डिंग/सर्जन क्वार्टर/ नर्सेस क्वार्टर/ओपीडी बिल्डिंग/एक्स-रे रूम.
110	0.77	प्री-प्रायमरी स्कूल बिल्डिंग
1/6, 1/11, 16/2, 19/2, 1/8, 1/9, 1/10, 19/1, 164/3, 19/3.	8.78	कृषि भूमि
77/3	0.25	एम. एस. क्वाटर

नीलकंठ टीकाम,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास रायपुर (छ.ग.)

ईस्तहार

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2005

क्रमांक/327/वाचक/ट्रस्ट/अ.वि.अ./05.—आम जनता को इस ईस्तहार के जरिए सूचित किया जाता है, कि विशेष सचिव महोदय आवास एवं पर्यावरण विभाग छ. ग. शासन रायपुर का पत्र क्रमांक 2873, 1822/32/2005 रायपुर दिनांक 17-11-2005 एवं मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 03 सितम्बर 2005 में लिए गये निर्णय अनुसार ग्राम पुरेना प. ह. नं. 113 रा. नि. मं. 02 तहसील व जिला रायपुर स्थित श्री ठाकुर रामचन्द्र जी दुग्धाधारी मठ रायपुर भूमि स्वामी प्रबंधक कलेक्टर रायपुर ख. नं. 617 रकबा 7.070 हे. भूमि का आवंटन छ. ग. गृह निर्माण मंडल अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सेवाओं ग्रुप (ड) के लिए आवासीय योजना हेतु नक्शा खसरा सहित छ. ग. गृह निर्माण मंडल के द्वारा क्रय एवं अदला बदली के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि चाही गई है. उक्त दर्शित भूमि का क्रय/अदला बदली एवं भूमि आवंटन करने में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव पेश करना हो तो वह अपना आपत्ति या सुझाव स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 23-12-05 को दोपहर 2.30 बजे लिखित में पेश कर सकता है. निर्धारित तिथि के पश्चात् पेश किये आपत्ति या सुझाव पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा.

ईस्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के सील मुहर से आज दिनांक 9-12-2005 को जारी किया गया.

के. के. बक्शी,
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.